न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 15/22 GCMS NO 2022/17

1. मकोली पत्नि स्व0कन्हैया जाति माली निवासी ग्राम शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी धमूण कलां तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. कमला पुत्री स्व0कन्हैया पत्नि हीरालाल जाति माली निवासी धमूण कलां तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. मुकेश पुत्र स्व0रामनिवास जाति माली निवासी ग्राम शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
2. शंकर पुत्र स्व0रामनिवास जाति माली निवासी ग्राम शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
3. फोरन्ती पुत्र स्व0रामनिवास जाति माली निवासी ग्राम शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
4. मीरा पुत्री स्व0रामनिवास जाति माली निवासी ग्राम शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
5. सरोजा देवी पत्नि स्व0 रामनिवास जाति माली निवासी ग्राम शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
6. कलावती पत्नि स्व0चौथमल जाति माली निवासी ग्राम शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
7. मुरारी
8. किशन पिसरान स्व0चौथमल जाति माली निवासी ग्राम शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
9. मंजू पुत्री स्व0चौथमल जाति माली निवासी ग्राम शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
10. सीतादेवी पुत्री कन्हैया लाल पत्नि रमेश जाति माली निवासी ग्राम सिरस जिला टोंक
11. मोहनी देवी पत्नि श्रीराम जाति जाट निवासी महापुरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
12. सोनी देवी पत्नि बदरी लाल जाति जाट निवासी महापुरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
13. तहसीलदार तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्ध मु0नं0 362/06 निर्णय व दिनांक ... जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:01:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

श्रीमान् किशन । ...

Scanned with CamScanner

अभिभाषक अपीला0 श्री रविशंकर सैनी
अभिभाषक रैस्पो0 श्री अब्दुल वहाब, श्री हयात अली

दिनांक 03.12.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.4.12 न्यायालय उप जिला कलक्टर चौथ का बरवाडा पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 संख्या 1 ने एक वाद पत्र बाबत उदघोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं तकासमा का इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 6 के बुर्जग छोटू का सन 1992 मे हो चुका है। छोटू के तीन पुत्र है। कन्हैया,रामनिवास, चौथमल। छोटू की मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही उसके पुत्र कन्हैया का भी वर्ष 1992 मे ही देहान्त हो गया ओर डेढ दो वर्ष पहले ही चौथमल का देहान्त हो गया। मृतक छोटू वादी एवं प्रतिवादी का बुर्जग था। जिसकी कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि ख0न0 2075 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा , ख0न0 2472/3 रकबा 2 बीघा, 2074/2 रकबा 15 बिस्वा, ख0न0 2464 रकबा 18 बिस्वा, ख0न0 2072/2 , 2073 व 2074/2 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा ग्राम शिवाड मे स्थित है। सेटलमेंट के दौरान उक्त ख0न0 के नये ख0न0 2662,2663,3766,3767,3811,3814,4220,4243 कुल किता 8 रकबा 5. 33 है0 बने है। वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 6 के बुजुर्ग छोटू के देहान्त के पश्चात उक्त आराजीयात [illegible] विरासत प्रतिवादी न0 1 तथा प्रतिवादी न0 2 के पति एवं तीन लगायत पांच के पिता चौथमल के नाम नामा0 संख्या 18 दिनांक 3.5.93 एवं इसी नामा0 के जरिये बराये चालाकी से वादी के दत्तक पिता कन्हैया की बेवा प्रतिवादी न0 6 मकोली ने अपने नाम नामा0तस्दीक करवा लिया। जबकि वादी ने मृतक कन्हैया का अंतिम संस्कार बहैसियत पुत्र के समान वादी ने ही करवाये है। यहॉं तक की उसका समस्त क्रिया कर्मचार वादी ने ही किया है तथा पगडी भी वादी के ही बांधी गई है। वादी के दत्तक पिता कन्हैया की मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही उसकी बेवा मकोली ने ग्राम शिवाड के ही नन्दलाल पुत्र सुक्खा माली से नाता कर लिया और मकोली नन्नलाल की पत्नि बनकर शिवाड मे रह रही है। जिसकी पुष्टि वोटर लिस्ट से होती है। मकोली ने चालाकी से नामा0 अपने नाम तस्दीक कराया है। जो निरस्त योग्य है। वादी विवादित आराजीयात के 1/3 हिस्से पर बहैसियत मालिक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 6 मकोली का उक्त आराजीयात से कोई वास्ता ताल्लुक नही है। मृतक कन्हैया के कोई औलाद नही होने के कारण सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार वादी ने दत्तक पुत्र की हैसियत से सभी कार्य मृतक कन्हैया के किये है। वादी मृतक [illegible] से की आराजीयात के हिस्से 1/3 को अपने नाम कराने का अधि[illegible] से नाता करने से मकोली के समस्त अधिकारी कन्हैया की विरासत मे से [illegible] किसी प्रकार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:01:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नही है। प्रतिवादिया मकोली कन्हैया की आराजीयात का हिस्सा 1/3 को बेचान करने पर आमादा है जिसकी धमकी मकोली ने वादी को दी है। इस प्रकार वाद कारण उत्पन्न होने से वादी मृतक कन्हैया की आराजीयात हिस्सा 1/3 को अपने नाम कराने का अधिकारी है। विवादित आराजीयात से प्रतिवादियां न0 6 का राजस्व रिकार्ड से नाम हजफ कर विवादित आराजीयात का विधिवत तकासमा करवाकर प्रतिवाादियां को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे। प्रतिवादी न0 2 व 3 ने विवादित आराजीयात मे से ख0न0 3811 एवं 3814 मे से अपने हिस्से 2/12 का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 5.7.06 को प्रतिवादी न0 7 व 8 के पक्ष मे कर दिया और जिसकी आड मे वह वादी की आराजीयात पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहती है। अतः उनको भी स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार वादी को प्राप्त है। इस प्रकार दावा डिकी फरमाया जावे कि आराजी ख0न0 2262 रकबा 0.04 है0 ख0न0 2263 रकबा 0.05 है0, ख0न0 3766 रकबा 0.16 है0, ख0न0 3767 रकबा 0.16 है0, ख0न0 3811 रकबा 3.02 है0, ख0न0 3814 रकबा 1.21 है0, ख0न0 4220 रकबा 0.23 है0, ख0न0 4243 रकबा 0.51 है0, कुल किता 8 रकबा 5.39 है0 ग्राम शिवाड का वादी अपने हिस्से 1/3 का खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजीयात का विधिवत तकासमा कराया जाकर वादी का अलग से हिस्सा 1/3 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज फरमाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0मुकेश को फर्जी दस्तावेजो के आधार पर मृतक कन्हैया का दत्तक पुत्र मानकर गलत रूप से कानून के विपरीत प्रावधानो के निर्णय पारित किया है। मृतक कन्हैया एवं उसकी धर्म पत्नि मकोली द्वारा कभी मुकेश को गोद नही लिया है ना ही कोई गोद लेने की रस्म निभाई है। गौद लेने का काई गोद पत्र नही है। कानूनी प्रावधानो के अनुसार गोद पत्र 100/–रूपये के स्टाम्प पर लिखा जाकर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। वादी मुकेश को सक्षम न्यायालय से मृतक कन्हैया का उत्तराधिकारी घोषित करवाना चाहिए था। वादी द्वारा प्रस्तुत वोटर लिस्ट एवं वोटर आई डी प्रस्तुत की गई है वह 2004 की है जबकि कन्हैया की मृत्यु वर्ष 1992 मे हो चुकी है। वादी मुकेश को फर्जी दस्तावेजो के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गोद पुत्र माना है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक कन्हैया की पत्नि मकोली का नाम कृषि भूमि से हजफ गलत रूप से किया है। जबकि अपीलांर्थी मकोली कन्हैया की विवाहिता धर्म पत्नि है। अपीलार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:01:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

संख्या 2 कमला एवं रेस्पो0 संख्या 10 सीता अपीलार्थी की जायज पुत्रियां है। इसलिए कन्हैया की मृत्यु उपरान्त उसकी हिस्से का नामा0 अपीलार्थीयो के नाम नही खोला है। क्योकि अपीलार्थीयां मृतक कन्हैया की प्रथम वर्ग की उत्तराधिकारी है और मृतक की कानूनी वारिस है। अपीलार्थीयां अपने पति की सम्पति/जायदाद/कृषि भूमि मे हिस्सा प्राप्त करने की कानूनी अधिकारी एवं हकदार है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानो के विपरीत आलोच्य निर्णय पारित किया है। वादी/रेस्पो0 ने मकोली को नन्दलाल उर्फ नाथू माली के नाता बैठना बताया है जबकि नन्दलाल की विवादिता पत्नि आन्नदी मौजूद है। रेस्पो/वादी द्वारा फर्जी दस्तावेज पेश किये है। जिनका कानून की नजर मे कोई महत्व नही है। अपीलार्थी मकोली को उसके पति कन्हैया की मृत्यु के बाद से ही रेस्पो0 मुकेश एवं उसका पिता परेशान करता चला आ रहा है तथा सम्पति हडपने के लिए घर से निकालने पर आमादा है। इसलिए काफी वर्षो से अपनी छोटी पुत्री कमला के पास ग्राम धमूण कलां मे रहती है। अपीलार्थी ग्रामीण एवं अनपढ महिला होने से अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही हो सकी इस कारण समयावधि मे अपील पेश नही कर सकी। जानकारी होने पर नकल आदि प्राप्त की जाकर कोरोना महामारी आ जाने से समयावधि मे अपील पेश नही सके। इस हेतु बिलम्ब को डिले कन्डोन किया जाकर अपीलार्थीगण की और से अन्दर मियाद अपील पेश की गई है। अतःअपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिकी अपास्त फरमाया जावे तथा वादी मुकेश के नाम दर्ज किया गया नामा0 निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि सर्वप्रथम यह देखने का विषय है कि अपीलांट द्वारा अपील अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के 10 वर्ष पश्चात पेश की गई है। बिलम्ब से प्रस्तुत अपील का कोई उचित कारण अंकित नही किया है। इस प्रकार अपील मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। मृतक कन्हैया की पुत्री सीता जो रेस्पो0 संख्या 10 है उसने भी वादी मुकेश को अपने पिता कन्हैया का दत्तक पुत्र माना है। वादी मुकेश द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे मृतक कन्हैया के समस्त वारियान को पक्षकार नही बनाया है। अपीलांट का यह कथन गलत है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नही हुई क्योकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्तागणो की मौजूदगी मे बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया है। रेस्पो/वादी के दत्तक पिता कन्हैया की बेवा अपीलांट संख्या 1 मकोली ने अपने नाम नामा0 चालाकी से तस्दीक करवा लिया। जबकि रेस्पो/वादी ने मृतक कन्हैया का अंतिम संस्कार बहैसियत पुत्र के समान रेस्पो/वादी ने ही करवाये है। यहॉ तक की उसका समस्त किया कर्मचार रेस्पो/वादी ने ही किया है तथा पगड़ी भी रेस्पो/वादी के ही बांधी गई है। रेस्पो/वादी के दत्तक पिता कन्हैया की मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही अपीलांट मकोली ने ग्राम शिवाड के ही नन्दलाल पुत्र सुक्खा माली से नाता कर लिया और मृतक नन्दलाल की पत्नि बनकर शिवाड मे रह रही है। जिसकी पुष्टि वोटर लिस्ट से होती है। मकोली ने नामा0 अपने नाम तस्दीक कराया है। रेस्पो/वादी विवादित आराजीयात के 1/3 हिस्से पर बहैसियत मालिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:01:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अपीलांट मकोली का उक्त आराजीयात से कोई वास्ता ताल्लुक नही है। मृतक कन्हैया के पुत्र नही होने के कारण सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार वादी ने दत्तक पुत्र की हैसियत से सभी कार्य मृतक कन्हैया के किये है। वादी मृतक कन्हैया के हिस्से की आराजीयात के हिस्से 1/3 को अपने नाम कराने का अधिकारी है। मकोली ने नन्दलाल से नाता करने से मकोली के समस्त अधिकारी कन्हेया की विरासत मे से समाप्त हो चुके है। इस कारण किसी प्रकार का हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नही है। अपीलांट मकोली कन्हैया की आराजीयात का हिस्सा 1/3 को बेचान करने पर आमादा होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र मे साक्ष्य प्राप्त किये जाकर तनकीयात कायम की जाकर ही पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। वादी/रेस्पो0 द्वारा प्रत्येक तनकी को सिद्व किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को दत्तक पुत्र सिद्व होनें के कारण ही मृतक कन्हैया की कृषि भूमि मे से 1/3 हिस्सा वादी को एवं 1/3 , 1/3 हिस्सा मृतक कन्हैया की वारियान कमला व सीता को प्रदान किया गया है। जो विधि अनुरूप है। अतःअपीलांट की अपील मियाद बाहर होने एवं सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि मृतक कन्हैया का वर्ष 1992 मे देहान्त हो जाने पर उसकी विरासत का नामा0 संख्या 18 दिनांक 3.5.93 के द्वारा उसकी धर्मपत्नि मकोली/अपीलांट के नाम दर्ज रिकार्ड हुई। जबकि मृतक कन्हैया के पत्नि के अलावा दो पुत्रियां कमला एवं सीता भी वारिसान थी। जिनके नाम भी 1/3, 1/3 हिस्सा विरासत मे प्राप्त होना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक कन्हैया की आराजीयात मे से 1/3 हिस्सा वादी मुकेश के नाम एवं 1/3 , 1/3 हिस्सा कन्हैया की पुत्रियां कमला व सीता के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने के आदेश जारी किये गये है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो/मुकेश को कन्हैया का उत्तराधिकारी किस आधार पर माना है इसका स्पष्ट उल्लेख नही किया गया है ना ही पत्रावली मे किसी सक्षम न्यायालय का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संलग्न है। जिससे उसका दत्तक पुत्र साबित हो सके। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि उत्तराधिकार सिद्व करने हेतु समक्ष न्यायालय से डिकी प्राप्त करना आवश्यक होता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मृतक कन्हैया की पुत्री कमला ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि वादी/मुकेश को उसके माता पिता द्वारा कभी गोद नही गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रमाण के वादी/मुकेश को कन्हेया का दत्तक पुत्र मानकर कन्हैया की आराजीयात मे से 1/3 हिस्सा गलत रूप से राजस्व [illegible] करने के आदेश दिये गये है। अपीलांट मकोली कन्हैया की बेवा होने [illegible] पु[illegible]यो के साथ साथ 1/3 हिस्से पर कानूनी अधिकार निहित है। इस प्रकार अपीलांट [illegible] स्वीकार किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:01:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अतःअपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला चौथ का बरवाडा के मुकदमा न0 362/2006 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.4.12 को अपास्त किया जाता है । मृतक कन्हैया की आराजीयात ग्राम शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा की नवीन जमाबंदी मे अंकित हाल ख0न0 2662,2663,3766,3661,3811,3814,4220,4243 कुल किता 8 कुल रकबा 5.38 है0 मे मृतक कन्हैया की बेवा अपीलांट मकोली को 1/3 हिस्सा की तथा दोनो पुत्रियां कमला व सीता को 1/3, 1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाईमाधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:01:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner